MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(NARCOTICS CONTROL DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2006

G.S.R. 177(E).—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Section 7A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drug Abuse) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
(b) "Controlling Officer" means an officer who is entrusted, by the Central Government, with the responsibility of controlling the receipt of money in the Fund and incurring expenditure from the Fund.
(c) "Governing Body" means the Governing Body constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 7A of the Act;
(d) "Form" means the Form appended to these rules;
(e) "Fund" means the National Fund for Control of Drug Abuse constituted under section 7A of the Act;
(f) all other words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Procedure for remittance of grant to the Fund.**– (1) Every grant made by any person or institution under clause (c) of sub-section (1) of section 7A of the Act shall be made by crossed cheque or demand draft in favour of the National Fund for Control of Drug Abuse and sent to the Joint Secretary (Revenue), Ministry of Finance, Department of Revenue, North Block, New Delhi –110001, who shall, on receipt of such cheque or demand draft issue a receipt to such person or institution making such grant.

(2) All grants made under sub-rule (1) shall be unconditional and irrevocable.

4. **Receipt of money.**- All moneys received under sub-section (1) of section 7A of the Act shall be credited to the Fund without delay by the Controlling Officer.

5. **Procedure for grant of money from the Fund.-** (1) Any Department of the Central Government or of State Government(s) or any organisation(s) (hereinafter called as the 'Applicant') desirous of obtaining money from the Fund shall submit an application in Form 'A' appended to these rules, together with a project report.

(2) Every application made under sub-rule (1) shall be sent to the Joint Secretary (Revenue), Ministry of Finance, Department of Revenue, North Block, New Delhi -110001

6. **Grant of money from the Fund.**– (1) The Central Government may require the Applicant to furnish further information or clarification regarding the activities and matters connected with the Applicant to enable it to consider payment out of the Fund.

(2) Subject to the conditions specified in sub-rule(3), the Governing Body may sanction money out of the Fund to an Applicant within the limits notified by the Central Government and the Central Government may, on the recommendation of the Governing Body sanction such amount of money to an Applicant, as it considers appropriate.

(3) Every Applicant who has been sanctioned money out of the Fund under sub-rule (2) shall,-

(a) apply the money to meet the expenditure incurred in connection with the measures taken for combating illicit traffic in, or controlling abuse of, narcotic drugs and psychotropic substances or controlled substances for all or any of the purposes specified in sub-section (2) of section 7A of the Act;

(b) submit an annual return ending on the last day of March of every year, within fifteen days of the end of the preceding year to the Central Government in Form 'B' appended to these rules.

(c) maintain regular books of accounts, showing receipt and expenditure, which shall provide a true and fair view of the financial position of such Applicant; and

(d) be bound by the terms and conditions stipulated in the letter of sanction of money issued by the Central Government.

(4) The money provided to the Applicant, and the assets acquired or created out of such money, shall be deemed to be entrusted to the Applicant for the purposes specified in sub-section (2) of section 7A of the Act.

(5) The Applicant shall retain, hold and use the money received by it from the Fund, and all assets acquired with such moneys, solely for the purposes specified in sub-section (2) of section 7A of the Act and for no other purpose.

(6) If the Central Government has reasons to believe that an Applicant, -

(i) has failed to carry out the purposes specified in sub-section (2) of section 7A of the Act; or

(ii) is likely to be wound up; or

(iii) is unable to maintain and preserve the assets acquired or created out of the money received from the Fund; or

(iv) is unable to perform or is likely to commit breach of its obligations under the grant of money,

the Central Government may, at any time, revoke the grant of money, and in such case the Applicant shall be disentitled to retain the moneys paid out of the Fund or the assets acquired or created thereby.

7. **Communication of sanctions.**– All financial sanctions and orders issued by the Central Government under these rules shall be communicated to the Audit Officer or the Accounts Officer, as the case may be, in accordance with the procedure specified under the General Financial Rules, 2005.

8. **Accounts and audit.-** (1) The Central Government shall maintain proper accounts and other relevant records as per the Accounting Procedure as at Annexure I, appended to these rules, and prepare a statement of accounts giving therein the details of the amount credited to the Fund and expenditure incurred therefrom, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The accounts of the Central Government under sub-rule (1) shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be specified by him.

(3) The Comptroller and Auditor General of India shall have the same rights and privileges and authority, in connection with the audit of the Fund and accounts of the Central Government maintained under sub-rule (1) and also in connection with the audit of the accounts of the Applicant, as he has in connection with the audit of General Accounts and, in particular, shall have the rights to demand production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Central Government or the Applicant.

9. **Publication of annual report and statement of accounts.-** The annual report giving an account of activities financed out of the Fund together with the statement of accounts referred to in section 7B of the Act shall be published in the Official Gazette as soon as possible after the end of each financial year and, in any case not later than 31st December of succeeding year.

10. **Application of the provisions of General Financial Rules, 2005.-** The provisions of the General Financial Rules, 2005 as amended from time to time shall, as far as may be, apply to the grant of money by the Central Government under these rules.

[F. No. 664/8/99-NC-I (Vol. II)]

ROHTASH SINGH, Under Secy.

FORM – A

[See rule 5(1)]

FORM FOR APPLICATION FOR GRANT FROM THE NATIONAL FUND FOR CONTROL OF DRUG ABUSE

1. Name of the Applicant
2. Name of the Government /Non-Government Organisation which established the Applicant
3. Address of the Applicant and their branches, including e-mail address

4. Financial status including balance sheet of the Applicant and their branches
5. Personnel working in the Applicant (indicate qualification, experience, specialised interest particularly in relation to the proposed work).
6. Name, address and phone number of the officer in-charge of the Applicant
7. Objectives of the proposed project for which grant is required.
8. Total expenditure likely to be incurred for the project.
9. Amount of expenditure to be met out of the National Fund for Control of Drug Abuse.
10. Details of grants obtained earlier from the National Fund for Control of Drug Abuse or any Other Fund or Organisation
11. Manner in which project is proposed to be implemented.
12. Duration of the project.
13. Name and designation of the officer who is authorised to sign the application.

DATE:

SIGNATURE:

PLACE:

FORM – B

[See rule – 6(3) (b)]

FORMAT FOR ANNUAL RETURNS TO BE SUBMITTED BY THE APPLICANT RECEIVING PAYMENT OUT OF THE NATIONAL FUND FOR CONTROL OF DRUG ABUSE

1. Year in respect of which returns filed
2. Name of the Applicant
3. Name of the Government/Non-Government Organisation who established the Applicant
4. Address of the Applicant
5. Amount spent by the Applicant during the year
6 The amount out of item 5 spent from sources other than the Fund
7. Results achieved and extent to which targets have been achieved
8. Further action to be taken, giving specific recommendations for revision of the proposal in case the targets are not likely to be achieved.

9. Name, designation and telephone number of the officer who is authorised to sign the return.

DATE:

SIGNATURE:

PLACE:

Annexure I

Accounting Procedure for the "National Fund for Control of Drug Abuse"

1. Constitution of Fund.- The "National Fund for Control of Drug Abuse" has been constituted in the Public Account of India, wherein the amounts received from the following sources shall be credited in accordance with the provisions contained in section 7A of the Act, namely:-

(a) An amount which the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, provide;

(b) The sale proceeds of any property forfeited under Chapter VA of the Act;

(c) Any grant that may be made by any person or institution;

(d) Any income from investment of the amounts credited to the Fund under the aforesaid provisions (i.e. interest on the deposits in Public Account at a rate to be decided by Budget Division of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi).

2. **Utilisation of Fund.-** The fund shall be utilized by the Governing Body for the purposes mentioned in sub-section 2 of section 7A of the Act.

3. **Accounting Procedures.-**(1) Receipts to the Fund:

(a) An amount which the Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf provide shall be transferred to the Fund from the concerned grant as under the following Heads:

Major Head: **(MH)**	-	2070-Other Administrative Services
Minor Head: **(MnH)**	-	797-Transfer to Reserve/Deposits Account Drug Abuse.
Sub Head: **(SH)**	-	01-Transfer to the National Fund for Control of Drug Abuse.
Object Head: **(OH)**	-	63-Inter-Account transfer.

The classification for the Fund under the Public Account of India would be as under:

Major Head: **(MH)**	-	8121-General and Other Reserve Fund
Minor Head; **(MnH)**	-	118 -National Fund for Control of Drug Abuse
New sub-head	-	01-Receipts by transfer

The amount sanctioned by the Government each year for transfer to the Fund shall be credited to this Head by contra debit to the Major Head 2070 - National Fund for Control of Drug Abuse in the accounts of the Central Government.

(b)(i) The sale proceeds of any property forfeited under Chapter VA of the Act, to be initially credited to the Consolidated Fund of India as under:-

Major Head: **(MH)**	0070- Other Administrative Services.
Sub Major Head: **(SMH)**	60- Other Services.
Minor Head: **(MnH)**	800- Other Receipts
New sub-head:	06- Receipts from Sale Proceeds of Property forfeited under Chapter VA of the Act.

(ii) Where any property under declaration stands forfeited under section 68 K of the Act to the Central Government and the source of only a part of the illegally acquired property has not been proved to the satisfaction of the Competent Authority by the person affected, it shall make an order giving an option to the person affected to pay in lieu of forfeiture, a fine equal to the market value of such part and the same shall be credited under:

Major Head: **(MH)**	0070- Other Administrative Services.
Sub Major Head: **(SMH)**	60- Other Services.
Minor Head: **(MnH)**	800- Other Receipts
New sub-head:	07- Receipts from fines in lieu of forfeiture of property under section 68 K of the Act.

These receipts shall subsequently be transferred to the Fund with due appropriation by debit to the Head:

Major Head(MH):	2070 - Other Administrative Services
Minor Head :	797 - Transfer to Reserve/Deposit Account
Sub head: **(SH)**	01- Transfer to the National Fund for Control of Drug Abuse.
Object Head: **(OH)**	63 - Inter-Account transfer.

Contra credit will be afforded to the

Major Head: **(MH)**	8121 - General and other Reserve Funds.
Minor Head: **(MnH)**	118 - National Fund for Control of Drug Abuse in the Public Account
New sub-head:	01 - Receipts by transfer.

(c) Grant that may be made by any person or institution.-Any grant that may be made by any person or institution shall be credited to the Fund Account as under:

Major Head: **(MH)**	8121 – General and other Reserve Funds.
Minor Head: **(MnH)**	118 - National Fund for Control of Drug Abuse.
New sub-head:	02 - Receipts from grants by any person or institution

(d) After due appropriation the accountal of transfer of interest to the Fund account would be as under:

Debit

Major Head: **(MH)**	2049 - Interest Payments
Sub Major Head: **(SMH)**	05 - Interest on Reserve Funds

Minor Head: (**MnH**) 105 - Interest on general and other Reserve fund
Sub Head: (**SH**) .... 07 - Interest on the National Fund for Control of Drug Abuse.
Object Head (**OH**) 45 - Interest

Credit
Major Head: (**MH**) 8121 - General and other Reserve Funds.
Minor Head: (**MnH**) 118 - Interest on the National Fund for Control of Drug Abuse
New Sub-head: 03 - Receipts from interest payment by the Government of India.

(2) The Accounting Procedure for receipt into and disbursement from this Fund :

(a) Expenditure from the Fund.-All expenditure shall be initially made from the concerned grant debited to the Consolidated Fund of India shall be recouped from the Fund, from time to time. The Department of Revenue may make stringent provisions for the control and regulation of operations relating to narcotic drugs and psychotropic substances and would be properly reflected in the expenditure of the Government while the continuing balances in the Fund in the Public Account will ensure that funds are readily available.

Initially debit will be afforded to-

Major Head: (**MH**) 2070 - Other Administrative Services
Minor Head: (**MnH**) 113 - Narcotics Control
New sub-head: 04 - Expenditure on Control of Drug Abuse

Finally, after recoupment, the entire expenditure shall stand debited to-

Major Head: (**MH**) 8121 - General and other Reserve Fund
Minor Head: (**MnH**) 118 - National Fund for Control of Drug Abuse.
New sub-head: 04 - Expenditure on Control of Drug Abuse

Subject to the approval of the Competent Authority, expenditure incurred for identification, treatment, education, after-care, rehabilitation, social re-integration of addicts and for such other provisions as may be provided in sub-section (2) of Section 7A of the Act may also be met out of the allocations from the Fund.

The amount financed from expenditure head shall be shown as Deduct entry under the minor head "902-Deduct amount met from the National Fund for Control of Drug Abuse" below Major Head "2070-Other Administrative Services" by Contra Debit to the Reserve Fund as under: -

Major Head: (**MH**) 2070 - Other Administrative Services
Minor Head: (**MnH**) 902- Deduct amount met from National Fund for Control of Drug Abuse.

4. Payment Procedure for disbursement from this Fund.-(1) Application of the Fund

The amounts available in the Fund would be applied for the purposes mentioned in sub-section 2 of section 7A of the Act.

(2) Application for grant of money from the Fund :

The Applicant may apply to the Ministry of Finance, Department of Revenue for grant of money from the Fund provided that;

(i) the Applicant shall submit an application along with Form 'A' and a copy of the Project report in the format as decided by the Governing Body from time to time.

(ii) every application for grant from the Fund shall be sent to the Joint Secretary (Revenue), Narcotics Control Division, Department of Revenue, North Block, New Delhi 110 001.

(3) Procedure for sanction of grants from the Fund :

(i) The Department shall scrutinize applications received from time to time and may obtain comments from other Ministries/Departments/State Government(s); or from such other authorities as it may deem fit or may inspect the office or the premises where the project is being run by the Applicant seeking money;

(ii) The application received along with the comments of various authorities shall be circulated to the members of the Governing Body at least seven days before the meeting of the Body;

(iii) The Central Government may require the Applicant seeking money to furnish further information or clarification regarding activities and matter connected with the Applicant to enable it to consider payment out of the Fund;

(iv) The maximum grant of money from the Fund would not exceed seventy five percent of the project cost;

(v) The Governing Body for the purpose of deciding the grant of money to such an Applicant would meet at least twice a year;

(vi) After considering the proposals, the Governing Body may sanction payment of such amount, which it considers appropriate, to an Applicant, upto the limit notified by the Central Government in the Official Gazette or seventy five percent of the project cost, whichever is less. For grant of money beyond the authority of the Governing Body, the Central Government may, on the recommendation of the Governing Body, sanction payment of such amount, as it considers appropriate, to an Applicant;

(vii) The amount would be released either as lump sum grant or in such number of installments as may be specified and subject to such conditions as may be imposed by the sanctioning authority;

(viii) The applications would be processed as per provisions of Delegation of Financial Power Rules/General Financial Rules;

(4) Meeting of the Governing Body

(i) The meeting of the Governing Body shall be held at least twice a year and as often as the Chairman may call for. The meeting of the Governing Body shall be convened on such date and time as decided by the Chairman, and the quorum of such meeting would be one-third of the strength of the Governing body.

(ii) In the absence of a Chairman, Joint Secretary of the Department of Revenue, who deals with the matters relating to the Fund shall convene the meeting of the Governing Body and the members of the Governing Body shall elect a Chairman to preside over that meeting.

(5) Obligations of Organisations receiving money from the Fund

(a) Every Applicant, which has been sanctioned money out of the Fund shall -
(i) utilise the money to meet the expenditure incurred by it in connection with measures taken for controlling the abuse of narcotic drugs or psychotropic substances for all or any of the purposes specified in sub-section (2) of section 7 A of the Act; may be specified in the sanction;
(ii) submit an annual return (Form 'B') ending on the last day of March of every year within fifteen days of the end of the preceding year and such annual return shall be furnished in format as may be specified by the Governing Body;
(iii) maintain books of account regularly showing receipts and expenditure which shall provide a true and fair view of the financial position of such Applicant; and
(iv) be bound by the terms and conditions of grant of money stipulated in the letter of sanction issued by the Central Government.

(b) The money provided to an Applicant and all assets acquired or created out of such money shall be deemed to be entrusted to the Applicant for the purpose for which it was sanctioned from the Fund.

(c) The Applicant shall retain, hold and use all moneys received by it from the Fund and all assets credited with such moneys solely for the purpose for which it was sanctioned from the Fund and for no other purpose.

(6) Powers of the Central Government

(a) The Central Government may, at any time or from time to time, call for such reports, documents or any other information as it may deem fit from the recipient of the money to monitor its proper utilization.

(b) If the Central Government has reasons to believe that the recipient of the money–
(i) has failed to carry out the purposes for which money was provided; or
(ii) is unable to maintain and preserve the assets acquired or created out of money from the Fund; or
(iii) is unable to perform or is likely to commit breach of its obligations under the grant of money; or
(iv) the Applicant receiving the money from the Fund is likely to be wound up,-

then the Central Government may at any time revoke the grant of money in which case the Applicant shall be disentitled to retain the money paid out of the Fund or the assets created thereby.

(7) Sanctioning Power of different Authorities.- The powers of various authorities to sanction amounts from the Fund would be as under: -

Amount to be sanctioned	Authority competent to grant the sanction
Upto Rupees Ten lakh	Governing Body
Above Rupees Ten lakh	Finance Minister

(8) Communication of sanctions

(i) All financial sanctions and orders issued by the Central Government under these rules shall be communicated to the Audit Officer and Pay and Accounts Officer concerned in accordance with the procedure specified under the General Financial Rules, 2005 that is all sanctions for drawal from the account shall be endorsed with a copy to the concerned Pay and Accounts Office and accordingly bills for drawals shall be submitted to the concerned Pay and Accounts Office for issue of cheque and to debit the concerned head and Consolidated Fund of India, and recoup the same on the monthly basis from the same Fund for such drawals.

The accredited Bank shall send the scrolls to the concerned Pay and Accounts Office regularly.

(ii) Subject to sanction by the Ministry, payments from the Fund may be released for purposes or activities as per provisions of section 7A of the Act.

(iii) Pay and Accounts Office, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi shall be responsible for maintaining ledger and broadsheet of the Fund.

(iv) Under rule 16 of the General Financial Rules, 2005 and rule 6 of the Receipts and Payments Rules, 1983 any amounts/subscriptions received by the Department concerned shall without undue delay, that is, within two working days from the receipt of money; be deposited with the Accredited Bank for depositing in the Government account and it must be ensured that the amounts received by the Accredited Bank under these provisions shall be deposited into the Government account within a period of five days and nine days (including Sunday and Holidays) in case of local branches and outside branches as the case may be. In case the remittance is delayed beyond the above time limit, an amount equal to the interest payable as per these

provisions or an amount decided by the Central Government from time to time may be recovered from the respective branch where the delay occurs towards penal interest from the date of receipt of money into Bank up to the date of remittance. The date of remittance into Government account in Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur may be excluded while calculating the delay. Further, an amount upto Rupees one hundred for each item may also be ignored while calculating the penal interest in delayed remittances.

Revenue/Receipt and Payment scrolls will be sent to Pay and Accounts Office, by the local branch, of the Accredited Bank viz Allahabad Bank, Parliament Street, New Delhi in case of Pay and Accounts Office, Department of Revenue, Ministry of Finance.

5. Accounts and Audit.- Receipts of amounts into the Fund and payments or expenditure out of the Fund would be in such manner and method as prescribed in these Accounting Procedure Rules.

The Central Government shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare a statement of accounts giving therein details of the amount credited to the Fund and expenditure incurred therefrom in consultation with the Controller General of Accounts and Comptroller and Auditor General of India. The accounts of the Central Government under sub-rule (1) of rule 8 shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be specified by them apart from annual Internal Audit conducted by Chief Controller of Accounts, Ministry of Finance, New Delhi.

The Comptroller and Auditor General of India, and Chief Controller of Accounts, Ministry of Finance shall have the same rights and privileges and authority in connection with the audit of the Fund, and accounts of the Central Government maintained under sub-rule (1) of rule 8 and also in connection with the audit of accounts of the Applicant seeking and having obtained grants under the Fund as they have in connection with the audit of General Accounts and in particular shall have the rights to demand production of books, accounts, connected vouchers and other related documents and papers and to inspect any of the offices of the Central Government or any organisation.

6. Annual Accounts to be published.- The annual report giving an account of activities financed out of the Fund together with the statement of Accounts, referred to in section 7B of the Act, shall be published in the Official Gazette as soon as possible after the end of each financial year and in any case not later than 31st December of the following financial year.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2006/चैत्र 3, 1928
No. 116] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2006/CHAITRA 3, 1928

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(स्वापक पदार्थ नियंत्रण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2006

सा.का.नि. 177(अ).—केन्द्रीय सरकार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 7क के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,—

(क) "अधिनियम" से स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 16) अभिप्रेत है ;

(ख) " नियंत्रक अधिकारी" से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निधि में धन की प्राप्ति और निधि से उपगत व्यय पर नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है ;

(ग) " शासी निकाय" से अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित शासी निकाय अभिप्रेत है ;

(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "निधि" से अधिनियम की धारा 7क के अधीन स्थापित राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि अभिप्रेत है ;

(च) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ।

3. **निधि में अनुदान के प्रेषण के लिए प्रक्रिया.**---(1) अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिया गया प्रत्येक अनुदान ओषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि के पक्ष में क्रॉस चैक या मांग देय ड्राफ्ट द्वारा दिया जाएगा और संयुक्त सचिव (राजस्व), वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 को भेजा जाएगा जो ऐसे चैक या मांगदेय ड्राफ्ट की प्राप्ति पर ऐसा अनुदान देने वाले ऐसे व्यक्ति या संस्था को एक रसीद जारी करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन दिए गए सभी अनुदान अशर्त और अप्रतिसंहरणीय होंगे ।

4.**धन की प्राप्ति,**-- अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सभी धन राशियां नियंत्रक अधिकारी द्वारा अविलंब निधि में जमा की जाएंगी ।

5. **निधि से धन के अनुदान के लिए प्रक्रिया.**-- (1) निधि से धन अभिप्राप्त करने का इच्छुक केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार (सरकारों) का कोई विभाग या कोई संगठन (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है) एक परियोजना रिपोर्ट के साथ इन नियमों से संलग्न प्ररूप 'क' में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन संयुक्त सचिव, (राजस्व), वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 को भेजा जाएगा ।

6. **निधि से धन का अनुदान.**--(1) केन्द्रीय सरकार, निधि में से संदाय पर विचार करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए आवेदक के क्रियाकलापों और उससे संबंधित विषयों के संबंध में आवेदक से अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(2) उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए शासी निकाय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सीमाओं के भीतर किसी आवेदक को निधि में से धन निकालने की मंजूरी दे सकेगा और केन्द्रीय सरकार शासी निकाय की सिफारिश पर जितनी वह उचित समझे किसी आवेदक को उतनी धनराशि की मंजूरी दे सकेगी ।

(3) प्रत्येक आवेदक जिसे उपनियम (2) के अधीन निधि में से धन निकालने की मंजूरी दी गई है, -

(क) धन का उपयोजन अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन के लिए स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम या उनके दुरुपयोग का नियंत्रण करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में उपगत व्यय पूर्ति के लिए करेगा ;

(ख) इन नियमों से संलग्न प्ररूप 'ख' में केन्द्रीय सरकार को पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति के पंद्रह दिन के भीतर प्रत्येक वर्ष के मार्च के अंतिम दिन की समाप्ति पर वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

(ग) प्राप्ति और व्यय दर्शित करने वाली नियमित लेखा बही रखेगा जो ऐसे आवेदक की वित्तीय स्थिति का सही और उचित लेखा जोखा उपलब्ध कराएंगी ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए धन की मंजूरी के पत्र में नियत निबंधनों और शर्तों द्वारा आबद्ध होगा ।

(4) आवेदक को उपलब्ध कराई गई धनराशि और ऐसे धन में से अर्जित या सृजित आस्तियां अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आवेदक को सौंपी गई समझी जाएंगी ।

(5) आवेदक निधि से उसके द्वारा प्राप्त धन, और ऐसी धनराशि से अर्जित सभी आस्तियों को एकमात्र अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित करेगा , धारित करेगा और उपयोग करेगा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए ।

(6) यदि केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि आवेदक,—

(i) अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में असफल हो गया है ; या

(ii) उसके समापन की संभावना है ; या

(iii) निधि से प्राप्त धन में से अर्जित या सृजित आस्तियां बनाए रखने और परिरक्षित रखने में असमर्थ है ; या

(iv) धन के अनुदान के अधीन उसकी बाध्यताओं को पूरा करने में असमर्थ है या उसके भंग करने की संभावना है,

तब केन्द्रीय सरकार किसी भी समय धन के अनुदान को प्रतिसंहृत कर सकेगी, और ऐसी दशा में आवेदक निधि में से संदत्त धनराशि या उससे अर्जित या सृजित आस्तियों को प्रतिधारित करने के हक से वंचित कर दिया जाएगा ।

7. **मंजूरियों की संसूचना.**-- इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई सभी वित्तीय मंजूरियां और आदेशों को साधारण वित्तीय नियम, 2005 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार यथास्थिति लेखा परीक्षा अधिकारी या लेखा अधिकारी को संसूचित किया जाएगा ।

8. **लेखे और लेखा परीक्षा.**-- (1) केन्द्रीय सरकार इन नियमों से संलग्न उपबंध-1 के रूप में लेखा प्रक्रिया के अनुसार उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी, और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निधि में जमा की गई रकम और उससे उपगत व्यय के ब्यौरे देते हुए लेखाओं का विवरण तैयार करेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के लेखे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों में जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संपरीक्षित किए जाएंगे ।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को निधि और उपनियम (1) के अधीन रखे गए केन्द्रीय सरकार के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में, और आवेदक के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में भी वैसे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जैसे कि वह साधारण लेखाओं की संपरीक्षाओं के संबंध में रखता है और विशिष्टतया बहियों, लेखाओं संबद्ध वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजों को प्रस्तुत करने की मांग करने और केन्द्रीय सरकार या आवेदक के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने के अधिकार होंगे ।

9. **वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का विवरण का प्रकाशन.**--- अधिनियम की धारा 7ख में निर्दिष्ट लेखाओं का विवरण के साथ निधि में से वित्त पोषित क्रियाकलापों का लेखा जोखा देते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् और किसी भी दशा में उत्तरवर्ती वर्ष के 31 दिसंबर के अपश्चात् यथासंभव शीघ्र भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

10. **साधारण वित्तीय नियम, 2005 के उपबंधों का लागू होना.**--समय समय पर यथा संशोधित साधारण वित्तीय नियम, 2005 के उपबंध जहां तक हो सके, इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा धन के अनुदान को लागू होंगे

[फा. सं. 664/8/99-एनसी-I (जिल्द. II)]

रोहताश सिंह, अवर सचिव

प्ररुप-क

(नियम 5(1) देखे)

राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि से अनुदान के लिए आवेदन का प्ररुप

1. आवेदक का नाम
2. सरकारी/गैर-सरकारी संगठन के नाम जिसे आवेदक ने स्थापित किया हो
3. ई-मेल पते सहित आवेदक और उसकी शाखाओं का पता
4. आवेदक और उसकी शाखाओं के तुलन- पत्र सहित वित्तीय प्रास्थिति
5. आवेदक के पास कार्यरत कार्मिक(अर्हता,अनुभव, विशेषीकृत रुचि विशेषतौर पर प्रस्तावित कार्य के संबंध में)
6. आवेदक के प्रभारी अधिकारी का नाम, पता और फोन नं.
7. प्रस्तावित परियोजना जिसके लिए अनुदान अपेक्षित है, के उद्देश्य
8. परियोजना पर होने वाला संभावित कुल व्यय
9. राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि से पूरे किये जाने वाले व्यय की राशि
10. राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि या अन्य किसी निधि अथवा संगठन से पूर्व में प्राप्त् अनुदानों का ब्यौरा
11. वह ढंग जिससे परियोजना को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है
12. परियोजना की अवधि
13. अधिकारी जिसे आवेदन पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, का नाम और पदनाम

तारीखः **हस्ताक्षर**

स्थानः:

प्ररुप-ख

(नियम 6 (3) (ख) देखें)

राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि संदाय प्राप्त करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणियों का प्ररुप

1. वह वर्ष जिसके संबंध में विवरणियाँ फाइल की गई हैं
2. आवेदक का नाम
3. सरकारी/गैर सरकारी संगठन का नाम जिसे आवेदक ने स्थापित किया हो
4. आवेदक का पता
5. वर्ष के दौरान आवेदक द्वारा खर्च की गई राशि
6. निधि से भिन्न स्रोत से मद 5 में खर्च की गई राशि
7. प्राप्त किए गए परिणाम और वह सीमा जहाँ तक लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं
8. उस मामले में जिसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना न हो,के प्रस्ताव के पुनरीक्षण हेतु विशेष सिफारिशों के बारे में बताते हुए की जाने वाली आगे की कार्रवाई
9. अधिकारी जिसे विवरणी पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, का नाम, पदनाम और टेलीफोन नं.

तारीखः **हस्ताक्षरः**

स्थानः

उपाबंध I

" राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि" के लिए लेखा प्रक्रिया

1. निधि का गठन- " राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि" का गठन भारत के लोक लेखे में किया गया है जिसमें निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त राशियां अधिनियम की धारा 7क में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार जमा की जाएंगी, अर्थात् :-

(क) ऐसी राशि जो केन्द्रीय सरकार इसके लिए संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक विनियोग के बाद प्रदान करे ;

(ख) अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन समपहृत किसी सम्पत्ति के विक्रय आगम ;

(ग) किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिया गया कोई अनुदान ;

(घ) उपर्युक्त उपबंधों के अधीन निधि में जमा राशियों के विनिधान से प्राप्त कोई आय (अर्थात वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के बजट प्रभाग द्वारा विनिश्चित दर पर लोक लेखा में जमा पर ब्याज)।

2. निधि का उपयोग- शासी निकाय द्वारा निधि का उपयोग अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

3. लेखा प्रक्रियाः- (1) निधि में प्राप्तियाँ :

(क) ऐसी राशि, जो केन्द्रीय सरकार इसके लिए संसद द्वारा विधि द्वारा सम्यक विनियोग के बाद प्रदान करे निम्नलिखित शीर्षों के अधीन संबंधित अनुदान से निधि में अंतरित की जाएगी;

मुख्य शीर्ष -	**2070-**	**अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ,**
लघु शीर्ष -	**797-**	**आरक्षित/जमा लेखा ओषधि दुरुपयोग में अंतरण**
उपशीर्ष	**01-**	**राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि में अंतरण**
मद शीर्षः	**63-**	**अंतर-लेखा अंतरण**

भारतीय लोक लेखा के अधीन निधि का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगाः

मुख्य शीर्षः	**8121-**	**साधारण और अन्य आरक्षित निधि**
लघु शीर्षः	**118-**	**राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि**
नया उप शीर्षः	**01-**	**अंतरण द्वारा प्राप्तियाँ**

सरकार द्वारा प्रति वर्ष अंतरण के लिए स्वीकृत राशि केन्द्रीय सरकार के लेखे में मुख्य शीर्ष 2070- राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि में प्रति नामे खाता द्वारा इस शीर्ष में जमा की जाएगी ।

(ख) (i) अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन समपहृत किसी सम्पत्ति के विक्रय आगम से प्राप्त राशि प्रारंभ में भारत की संचित निधि में निम्न प्रकार जमा की जाएगी:-

मुख्य शीर्ष:	**0070-**	**अन्य प्रशासनिक सेवाएँ**
उप मुख्य शीर्ष:	**60-**	**अन्य सेवाएँ**
लघु शीर्ष:	**800-**	**अन्य प्राप्तियाँ**
नया उप शीर्ष:	**06-**	**अधिनियम के अध्याय 5 क के अधीन समपहृत सम्पत्ति के विक्रय आगम से प्राप्तियाँ**

(ii) यदि किसी सम्पत्ति को केन्द्रीय सरकार के लिए अधिनियम की धारा 68ठ के अधीन समपहृत घोषित किया जाता है और अवैध रुप से अधिग्रहित सम्पत्ति के केवल एक भाग के स्रोत के बारे में प्रभावित व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट नहीं किया जा सके तो वह आदेश करेगा जिसमें प्रभावित व्यक्ति को समपहरण के बदले में उस भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माना का भुगतान करने का विकल्प होगा जिसे निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जाएगा:

मुख्य शीर्ष:	**0070-**	**अन्य प्रशासनिक सेवाएँ**
उप मुख्य शीर्ष:	**60-**	**अन्य सेवाएँ**
लघु शीर्ष:	**800-**	**अन्य प्राप्तियाँ**
नया उप शीर्ष:	**07-**	**अधिनियम की धारा 68ठ के अंतर्गत सम्पत्ति की जब्ती के एवज में शुल्क से प्राप्तियाँ**

तत्पश्चात् इन प्राप्तियों को शीर्ष से जमा द्वारा सम्यक् विनियोग के साथ निधि में अंतरित कर दिया जाएगा:

मुख्य शीर्ष:	**2070-**	**अन्य प्रशासनिक सेवाएँ**
लघु शीर्ष:	**797-**	**आरक्षित/जमा लेखा में अंतरण**
उप शीर्ष:	**01-**	**राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि में अंतरण ।**
मद शीर्ष:	**63-**	**अंतर-खाता अंतरण**

कांट्रा क्रेडिट निम्नलिखित शीर्ष में रखा जाएगा

मुख्य शीर्षः 8121- साधारण और अन्य आरक्षित निधियाँ
लघु शीर्षः 118- लोक लेखा में राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए निधि
नया उप शीर्षः 01- अंतरण द्वारा प्राप्तियाँ

(ग) किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिया गया अनुदान-किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिए गए अनुदान को निम्न प्रकार निधि ले.अ में जमा किया जाएगाः

मुख्य शीर्षः 8121- साधारण और अन्य आरक्षित निधियाँ
लघु शीर्षः 118- राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि
नया उप शीर्षः 02- किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा दिए गए अनुदान से प्राप्तियाँ

(घ) सम्यक विनियोग के बाद निधि लेखा में ब्याज का अंतरण लेखा निम्न प्रकार होगाः

जमा
नामे खाते
मुख्य शीर्षः 2049- ब्याज भुगतान
उप मुख्य शीर्षः 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज
लघु शीर्षः 105- साधारण और अन्य आरक्षित निधि पर ब्याज
उप शीर्षः 07- राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि पर ब्याज
मद शीर्षः 45-ब्याज
मुख्य शीर्षः 8121- साधारण और अन्य आरक्षित निधियाँ
लघु शीर्षः 118- राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि पर ब्याज
नया उप शीर्षः 03-भारत सरकार द्वारा किए गए ब्याज भुगतान से प्राप्तियाँ

(2) इस निधि में प्राप्ति तथा संवितरण की लेखा प्रक्रिया

(क) निधि से व्यय- प्रारंभ में सभी व्यय संबंधित अनुदान से किया जाएगा, भारत की संचित निधि के नामे खाते डाला जाएगा और समय-समय पर निधि से लिया जाएगा । राजस्व विभाग स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित कार्य पर नियंत्रण और विनियमन के लिए सख्त उपबंध करेगा और इसे सरकार के व्यय में उपयुक्त रुप से दर्शाया जाएगा जबकि लोक लेखा में निधि में अतिशेष यह सुनिश्चित करेगा कि निधियाँ पूरी तरह उपलब्ध हैं ।

प्रारंभ में नामे खाते निम्न प्रकार होगा -

मुख्य शीर्षः 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
लघु शीर्षः 113- स्वापक नियंत्रण
नया उप शीर्षः 04- ओषधि दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए व्यय

वापसी के बाद अंतिम रुप से सम्पूर्ण व्यय को निम्न प्रकार नामे खाते डाला जाएगा -

मुख्य शीर्षः 8121- साधारण और अन्य आरक्षित निधि
लघु शीर्षः 118- राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि
नया उप शीर्षः 04- ओषधि दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए व्यय

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन नशेरियों का पता लगाने, उपचार, शिक्षा, देख-भाल, पुनर्वास, सामाजिक पुनः स्थापन तथा अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (2) में यथा उपबंधित अन्य प्रावधानों पर किए गए व्यय को भी इस निधि से किए गए आवंटनों से पूरा किया जाएगा ।

व्यय शीर्ष से वित्त पोषित राशि को लघु शीर्ष "902 - राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि से कटौती राशि " के अधीन कटौती प्रविष्टि के रुप में दर्शाया जाएगा जिसे आरक्षित निधि के प्रति नामे खाते द्वारा मुख्य शीर्ष "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ" के नीचे निम्न प्रकार रखा जाएगाः

मुख्य शीर्षः 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
लघु शीर्षः 902- राष्ट्रीय ओषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि से पूरी की गई कटौती राशि

4. इस निधि से संवितरण हेतु भुगतान प्रक्रिया - (1) निधि का उपयोजन

इस निधि में उपलब्ध राशियों का आयोजन अधिनियम की धारा 7 क की उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

(2) इस कोष से राशि के अनुदान हेतु आवेदनः

आवेदक इस निधि से धन राशि के अनुदान के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के पास आवेदन कर सकता है, परन्तु यह किः

(i) आवेदक प्ररुप " क" और समय-समय पर शासी निकाय द्वारा यथाविनिश्चित प्ररुप में परियोजना रिपोर्ट की प्रति सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ii) निधि से अनुदान के लिए प्रत्येक आवेदन संयुक्त सचिव (राजस्व) ,स्वापक नियंत्रण प्रभाग, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जाएगा।

(3) निधि से अनुदानों की मंजूरी की प्रक्रियाः

(1) विभाग समय-समय पर प्राप्त आवेदनों की जाँच करेगा और वह अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों से ; अथवा ऐसे अन्य प्राधिकरणों से टिप्पणियाँ मंगा सकता है,जिन्हें वह उपयुक्त समझे अथवा अनुदान प्राप्त करने वाले आवेदक द्वारा जहाँ परियोजना चलाई जा रही है वहाँ के कार्यालयों अथवा परिसरों का निरीक्षण कर सकता है ;

(ii) विभिन्न प्राधिकरणों की टिप्पणियों के साथ प्राप्त आवेदन शासी निकाय के सदस्यों को निकाय की बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व परिचालित किया जाएगा ;

(iii) केन्द्रीय सरकार धनराशि मांगने वाले आवेदक से उससे जुड़े कार्यकलापों और बातों के संबंध में अन्य सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांग सकती है ताकि निधि से भुगतान पर विचार किया जा सके ;

(iv) निधि से अधिकतम अनुदान राशि परियोजना लागत के पचहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(v) ऐसे आवेदक को अनुदान राशि के प्रदान करने पर विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए शासी निकाय की वर्ष में कम से कम दो बैठक होगी ;

(vi) प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात शासी निकाय आवेदक को राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा तक जितना उपयुक्त समझे अथवा परियोजना लागत के पचहत्तर प्रतिशत तक जो भी कम हो, राशि के भुगतान की मंजूरी प्रदान कर सकती है। शासी निकाय के प्राधिकार से अधिक धन राशि के अनुदान के लिए केन्द्रीय सरकार शासी

निकाय की सिफारिश पर आवेदक को जितना उपयुक्त समझे उतनी धन राशि के भुगतान की मंजूरी प्रदान कर सकता है ;

(vii) राशि मंजूरी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन एक मुश्त अनुदान के रुप में अथवा यथाविनिर्दिष्ट किश्तों में जारी की जाएगी ;

(viii) आवेदनों पर कार्यवाही वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियमों/साधारण वित्तीय नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ;

(4) शासी निकाय की बैठक

(i) शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार और अध्यक्ष जितनी बार बुलाना चाहें, आयोजित होगी । शासी निकाय की बैठक अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चित तारीख और समय पर आयोजित होगी और ऐसी बैठक में शासी निकाय के एक तिहाई सदस्य उपस्थित होंगे ।

(ii) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निधि के मामलों को देखने वाले राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव शासी निकाय की बैठक बुलाएँगे और शासी निकाय के सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे ।

(5) निधि से निधि प्राप्त करने वाले संगठनों की बाध्यताएं

(क) प्रत्येक आवेदक जिसे निधि से धन निकालने की मंजूरी दी गई है-

(i) अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी एक प्रयोजन के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग का नियंत्रण करने के लिए किए गए उपायों के संबंध में उसके द्वारा उपगत व्यय को पूरा करने के लिए धनराशि का उपयोग करेगा; मंजूरी में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है ;

(ii) पिछले वर्ष की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर प्रत्येक वर्ष के मार्च के अंतिम दिवस तक की वार्षिक विवरणी (प्ररुप ख) प्रस्तुत करेगा और यह वार्षिक विवरणी शासी निकाय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्ररुप में प्रस्तुत की जाएगी ;

(iii) लेखा बही रखेगा जिसमें नियमित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाया जाएगा और इसमें ऐसे आवेदक की वित्तीय स्थिति का सही और साफ विवरण होगा ।

(iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मंजूरी पत्र में नियत अनुदान राशि के निबंधनों और शर्तों को पूरा करेगा ।

(ख) आवेदक को प्रदान की गई धन राशि और इस राशि से अर्जित अथवा सृजित सभी अस्तियाँ जिस प्रयोजन के लिए निधि से राशि मंजूर की गई थी उसके लिए आवेदक के सुपुर्द समझी जाएँगी ।

(ग) आवेदक निधि से प्राप्त सभी धन राशियों और ऐसी राशियों से मिली सभी आस्तियाँ निधि से जिस प्रयोजन के लिए राशि मंजूर की गई थी केवल उसके लिए अपने नियंत्रण में रख सकता है और उनका उपयोग कर सकता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं ।

(6) केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ

(क) केन्द्रीय सरकार राशि प्राप्तकर्ता से उसके उपर्युक्त उपयोग की मानीटरिंग करने के दृष्टिकोण से ऐसी सभी रिपोर्ट, दस्तावेज अथवा ऐसी अन्य सूचना कभी भी अथवा समय-समय पर मांग सकती है।

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार के पास ऐसा मानने के कारण हों कि राशि प्राप्तकर्ता-

(i) जिस प्रयोजन के लिए राशि प्रदान की गई थी उसे पूरा करने में सफल नहीं है ; अथवा

(ii) निधि से प्राप्त धन राशि से अर्जित अथवा सृजित आस्तियों को बनाए रखने और उन्हें संरक्षित रखने में असमर्थ है ; अथवा

(iii) अनुदान राशि के अंतर्गत जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है अथवा उसके द्वारा जिम्मेदारियों के उल्लंघन की संभावना है ; अथवा

(iv) निधि से धन राशि प्राप्त करनें वाले आवेदक द्वारा कार्य समाप्त करने की संभावना हो- तो केन्द्रीय सरकार किसी भी समय धन राशि के अनुदान को रद्द कर सकती है और इस स्थिति में आवेदक की निधि से भुगतान की गई राशि अथवा उससे सृजित आस्तियों को रखने की पात्रता खत्म कर दी जाएगी ।

(7) विभिन्न प्राधिकरणों की संस्वीकृति शक्तिः- कोष से राशियों को संस्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकरणों की शक्तियाँ निम्न प्रकार होगीः.

संस्वीकृत की जानी वाली राशि	**मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकरण**
दस लाख रु. तक	**शासी निकाय**
दस लाख रु. से अधिक	**वित्त मंत्री**

8. मंजूरियों की संसूचना

(i) इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी सभी वित्तीय मंजूरियों और आदेशों की संसूचना साधारण वित्तीय नियम, 2005 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संबंधित लेखा परीक्षा अधिकारी और वेतन एवं लेखा अधिकारी को दी जाएगी अर्थात् लेखा से आहरण हेतु सभी मंजूरियां संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय को एक प्रति सहित पृष्ठांकित की

जाएँगी और तदनुसार आहरणों हेतु बिलों को संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वह चेक जारी कर सके और उसे संबंधित शीर्ष और भारत की संचित निधि में डाला जा सके और ऐसे आहरणों के लिए उसी निधि से मासिक आधार पर वापस किया जा सके ।

प्रत्यायित बैंक संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय को नियमित रुप से स्क्रॉल्स भेजते रहेंगे ।

(ii) मंत्रालय द्वारा मंजूरी के अधीन निधि से भुगतान अधिनियम की धारा 7क के उपबंधों के अनुसार उद्देश्यों अथवा कार्यकलापों के लिए जारी किए जाएँगे ।

(iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली निधि का लेजर और ब्रोड़शीट रखने के लिए जिम्मेदार होगा ।

(iv) साधारण वित्तीय नियम, 2005 के नियम 16 और प्राप्तियाँ एवं भुगतान नियम, 1983 के नियम 6 के अधीन संबंधित विभाग द्वारा प्राप्त राशियों/अंशदानों को बिना अनुचित विलम्ब के अर्थात् धन राशि प्राप्त होने से दो कार्य दिवसों के भीतर प्रत्यायित बैंक में जमा कर दिया जाएगा ताकि उसे सरकार के खाते में डाला जा सके और यह निश्चित रुप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन उपबंधों के अधीन प्रत्यायित बैंक द्वारा प्राप्त राशियों को स्थानीय शाखाओं और बाहर की शाखाओं के मामले में पाँच दिनों और नौ दिनों (रविवार और अवकाश सहित) की अवधि के भीतर जैसा मामला हो, सरकारी खातें में डाल दिया जाए । उपर्युक्त समय सीमा के बाद विलम्ब से जमा करने की स्थिति में इन उपबंधों के अनुसार देय ब्याज के बराबर राशि या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित राशि विलम्ब करने वाली संबंधित शाखा से बैंक में राशि प्राप्त होने की तारीख से जमा करने की तारीख तक शास्तिक ब्याज के रुप में वसूल किया जा सकेगा। सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के खाते में जमा करने की तारीख को विलम्ब की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा । साथ ही प्रत्येक मद के लिए एक सौ रुपए तक की राशि को भी विलम्ब से जमा करने में शास्तिक ब्याज की गणना करते समय नहीं गिना जाएगा ।

वेतन एवं लेखा कार्यालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के मामले में वेतन एवं लेखा कार्यालय को राजस्व /प्राप्ति एवं भुगतान स्क्रॉल्स प्रत्यातित बैंक की स्थानीय शाखा अर्थात् इलाहाबाद बैंक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली द्वारा भेजे जाएँगे ।

5. लेखा और लेखा परीक्षा- निधि में राशियों की प्राप्तियाँ और निधि से भुगतान अथवा खर्च इन लेखा प्रक्रिया नियमों में विहित रीति और पद्धति से ही होंगे ।

केन्द्रीय सरकार उचित लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी तथा भारत के महालेखा नियंत्रक तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से एक लेखा विवरण तैयार करेगी जिसमें निधि में जमा राशि तथा उससे उपगत व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा । नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के लेखाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट अंतरालों पर की जाएगी । यह मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा की जाने वाली वार्षिक आंतरिक लेखा परीक्षा के अलावा होगी ।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक और मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को निधि की लेखा परीक्षा और नियम-8 के उप नियम (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा रखी जाने वाले लेखाओं के संबंध में तथा निधि से अनुदान मांग करने वाले और प्राप्त करने वाले आवेदक की लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो उन्हें साधारण लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्राप्त है और विशेष तौर पर उन्हें बहियों, लेखाओं संबंद्ध वाउचरों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों, एवं कागजातों को मांगने तथा केन्द्रीय सरकार के किसी भी कार्यालय अथवा किसी संगठन के निरीक्षण का अधिकार भी प्राप्त होगा ।

6. प्रकाशित किए जाने वाले वार्षिक लेखा:- निधि से जिन कार्यकलापों के लिए निधि प्रदान की गई उनका ब्यौरा देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तथा अधिनियम की धारा 7 ख में निर्दिष्ट लेखाओं का विवरण राजपत्र में यथा शीघ्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद तथा हर हाल में आगामी वित्त वर्ष के 31 दिसम्बर से पहले प्रकाशित किया जाएगा ।

REGD. NO. D. L.-33004/99

डी॰ एल॰-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

403] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2006/भाद्र 9, 1928
403] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2006/BHADRA 9, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 518(अ).—केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेशक/ उप-सचिव (स्वापक औषधि.नियंत्रण), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को एन डी पी एस (एन एफ सी डी ए) नियमावली, 2006 के नियम 2(ख) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष के लिए "नियंत्रक अधिकारी" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 664/38/2006-एन.सी.-I]

रोहताश सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2006

G.S.R. 518(E).—The Central Government hereby appoints, the Director/Deputy Secretary (Narcotics Control), Department of Revenue, Ministry of Finance, as "Controlling Officer" for the National Fund for Control of Drug Abuse under Rule 2(b) of NDPS (NFCDA) Rules, 2006.

[F. No. 664/38/2006-NC-I]

ROHTASH SINGH, Under Secy.

2689 GI/2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2009/चैत्र 12, 1931

No. 199] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2009/CHAITRA 12, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 232(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 7क के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष) नियमावली, 2006 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ-राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण कोष (संशोधन) नियमावली, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. उक्त नियमावली में,—

(i) नियम 6 में, उप-नियम (6) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"बशर्ते कि अनुदान प्राप्तकर्ता को नोटिस की तिथि से तीस दिनों की अवधि प्रदान करते हुए कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित कारणों से अनुदान क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए, जारी किए बिना और यदि अनुदान प्राप्तकर्ता निवेदन करता है तो उसे व्यक्तिगत सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना, कोई अनुदान रद्द नहीं किया जाएगा :

बशर्ते पुन: कि यदि केन्द्र सरकार की यह राय हो कि अनुदान राशि अभी भी अनुदान प्राप्तकर्ता के पास है और यह कि अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा राशि को बर्बाद किए जाने अथवा उसका दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना है और रद्द किए जाने की स्थिति में यह केन्द्र सरकार की पहुंच के बाहर हो जाएगा तो सरकार अनुदान को रद्द कर सकती है और रद्द करने के बाद अनुदान प्राप्तकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकती है और यदि अनुदान प्राप्तकर्ता अनुरोध करता है तो उसे व्यक्तिगत सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर सकती है ।"

(ii) प्रपत्र-ख में अनुबंध-1 में, पैरा 4 में, उप-पैरा (6) में, खंड (ख) में, मद (iv) में, "केन्द्र सरकार किसी भी समय" शब्दों के बाद "नियम 6 के उप-नियम (6) के उपबंधों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद" शब्द, कोष्ठक और आंकड़े जोड़े जाएंगे ।

[फा. सं. 664/08/1999-एन सी-1 (खंड-III)]

विमला बक्शी, अवर सचिव

नोट.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 177(अ), दिनांक 24 मार्च, 2006 के जरिए प्रकाशित हुए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2009

G.S.R. 232(E).— In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Section 7A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund For Control of Drug Abuse) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances National Fund For Control of Drug Abuse (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules,—

(i) in rule 6, in sub-rule (6), the following provisos shall be inserted; namely :—

"Provided that no grant of money shall be revoked without giving the grantee a notice to show cause within thirty days from the date of the notice as to why the grant should not be revoked for the reasons indicated in the notice and if the grantee so requests, without giving him a reasonable opportunity of being heard in person :

Provided further that where the Central Government is of the opinion that the money that was granted is still with the grantee and that the grantee is likely to fritter away or squander the money, so that it is beyond the reach of the Central Government in case of revocation, it may revoke the grant and give notice to show cause to the grantee subsequent to the revocation and if the grantee so requests, give him a reasonable opportunity of being heard in person.";

(ii) in Form-B, in Annexure I, in paragraph 4, in sub-paragraph (6), in clause (b), in item (iv), after the words "the Central Government may at any time", the words, brackets and figures "after following the procedure specified in the provisos to sub-rule (6) of rule 6" shall be inserted.

[F. No. 664/08/1999-NC-1 (Vol. III)]

VIMLA BAKSHI, Under Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 177(E), dated the 24 March, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2009/श्रावण 28, 1931
No. 458] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2009/SRAVANA 28, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 581(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 76 के साथ पठित धारा 7क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है जिससे स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (औषधि दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष) 2006 में संशोधन किया जा सके यथा :—

1. (1) इन नियमों को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (औषधि दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष) संशोधन नियम, 2009 कहा जायेगा ।

(2) ये अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. उल्लेखित नियमों में अनुबंध-I में औषधि दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष के लेखांकन प्रक्रिया में व्याकाश 4 के उप-व्याकाश 3 में,—

(i) मद (iv) में निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा :—

''उस मामले में जहां प्रार्थी सरकारी विभाग या सरकार का कोई अभिकरण है, तो कोष में से अधिकतम राशि की स्वीकृति परियोजना लागत की सौ प्रतिशत होगी ।,'';

(ii) मद (vi) में, ''परियोजना लागत की पिचत्तर प्रतिशत'' शब्दों के लिए शब्द ''सौ प्रतिशत परियोजना लागत सरकारी विभाग या सरकार के किसी अन्य अभिकरण या परियोजना लागत का पिचत्तर प्रतिशत अन्यों'' के संबंध में प्रतिस्थापित होगा ।

[फा. सं. एन-21014/2/2009-एस ओ (एन सी-I)]

विमला बक्शी, अवर सचिव

टिप्पणी:—संख्या सा.का.नि. 177(अ), तारीख 24 मार्च, 2006 के जरिए मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुए थे ।

3001 GI/2009

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2009

G.S.R. 581(E).—In exercise of the powers conferred by Section 76 read with Section 7A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drug Abuse) Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (National Fund for Control of Drug Abuse) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in Annexure I, in the Accounting Procedure for the National Fund for Control of Drug Abuse, in sub-clause (3) of clause 4, —

(i) in item (iv), the following Proviso shall be inserted, namely:—
"Provided that in case where the applicant is a Government Department or any agency of the Government, the maximum grant of money from the Fund would be hundred per cent of the project cost.";

(ii) in item (vi), for the words "seventy five per cent of the project cost", the word " hundred per cent of the project cost in respect of Government Department or any agency of the Government or seventy, five per cent of the project cost in respect of others" shall be substituted.

[F. No. N.-21014/2/2009-SO (NC-I)]

VIMLA BAKSHI, Under Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* No. G.S.R 177(E), dated the 24th March, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.